भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1822

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंपों पर सब्सिडी

1822. श्री भारत सिंह कुशवाहः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना कब शुरू की गयी तथा मध्य प्रदेश,विशेषकर ग्वालियर जिले में अब तक इसके विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत घटक-वार स्वीकृत, स्थापित तथा संचालित सौर पंपों एवं अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत 5 एचपी एवं 10 एचपी क्षमता के सौर कृषि पंपों के लिए अनुदान/सब्सिडी का प्रावधान किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार 5 एचपी एवं 10 एचपी क्षमता के सौर पंपों के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख) भारत सरकार द्वारा PM-KUSUM योजना का शुभारंभ 8 मार्च, 2019 को किया गया था। मध्य प्रदेश सहित देश में PM-KUSUM के अंतर्गत घटक-वार प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ग्वालियर जिले में घटक-वार प्रगति निम्नानुसार है:

घटक	स्थापना (30.06.2026 तक)
घटक-A (मेगावाट)	2
घटक-B (पंपों की संख्या)	67
घटक-C (पंपों की संख्या)	शून्य

(ग) एवं (घ) PM-KUSUM योजना के घटक-'B' के अंतर्गत 7.5 HP तक की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए बेंचमार्क लागत अथवा निविदा दर, जो भी कम हो, का 30 प्रतिशत (या पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय क्षेत्र/द्वीपों के लिए 50 प्रतिशत) केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों तथा द्वीपों के किसानों के लिए 7.5 HP से अधिक तथा 15 HP तक क्षमता वाले सौर पंपों की स्थापना की अनुमति है। तथापि, 15 HP तक के पंपों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) कुल स्थापनाओं के 10 प्रतिशत तक सीमित है।

अनुलग्नक-I

'पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर पंपों पर सब्सिडी' के संबंध में पूछे गए दिनांक 29.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1822 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

PM-KUSUM योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं घटक-वार प्रगति

(30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	घटक-A (MW)		घटक-B (MW)		घटक-c (संख्या)				
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (IPS)	स्थापित (IPS)	स्वीकृत (FLS)	स्थापित (FLS)	स्थापित (कुल)
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	699	0	0	0	0	0
2	असम	2	0	4000	1595	0	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ	366	19	0	0	0	0	10523	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	140300	4570	4570
5	गुजरात	175	0	22792	22787	0	0	467114	303256	303256
6	गोवा	24	4	900	200	0	0	11000	700	700
7	हरयाणा	158	60.21	197655	194969	0	0	2899	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	100	100	1270	1103	0	0	0	0	0
9	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	5000	4871	0	0	0	0	0
10	झारखंड	0	0	86985	68787	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	0	0	41365	26806	0	0	763588	134375	134375
12	केरल	0	0	8	8	9448	4063	22368	11809	15872
13	लद्दाख	0	0	1400	265	0	0	0	0	0
14	**मध्य प्रदेश**	**1401**	**201.66**	**59400**	**24682**	**0**	**0**	**175000**	**62378**	**62378**
15	महाराष्ट्र	260	21	575000	551971	0	0	875000	875000	875000
16	मणिपुर	0	0	450	160	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	2735	98	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	1700	592	0	0	0	0	0
19	नगालैंड	0	0	265	265	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	90	2	18441	15780	0	0	5223	0	0
21	पुदुचेरी	0	0	72	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	0	0	18048	17928	186	25	0	0	25
23	राजस्थान	5618	1236.05	134752	127639	2138	2138	400000	222853	224991
24	तमिलनाडु	3	3	5187	5186	0	0	0	0	0
25	तेलंगाना	1797	79	7000	0	28000	0	0	0	0

26	त्रिपुरा	5	0	11114	9190	3600	1311	0	0	1311
27	उतार प्रदेश।	1	1	107266	71538	12000	8281	370000	2117	10398
28	उत्तराखंड	0	0	3685	2869	0	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	20	4	0	0	4
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	293587	0	0
	कुल	**10000**	**1726.92**	**1307190**	**1149988**	**55392**	**15822**	**3536602**	**1617058**	**1632880**
